



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्लॉट नं०-01, प्रशासनिक कार्यालय, सैक्टर-नॉलेजपार्क-04, ग्रेटर नौएडा

पत्रांक- ग्रेनो/विल्डर्स/2020/661
दिनांक 19 फरवरी, 2020

सेवा में,

M/s. JRS Conbuild Pvt. Ltd.
H-169, Sector-63, Noida
Distt. Gautambudh Nagar, U.P.

विषय- विल्डर्स आवासीय/ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या- GH-01A/1, सैक्टर-16, ग्रेटर नौएडा के प्रीमियम एवं अतिरिक्त प्रतिकर की किश्तों/ब्याज के पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 30.08.2019 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आपने अपने विल्डर्स आवासीय/ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या- GH-01A/1, सैक्टर-16, ग्रेटर नौएडा के सापेक्ष अतिदेय धनराशि के रि-शिड्यूलमेंट हेतु अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में आपके भूखण्ड के मेन पेमेंट प्लान + अतिरिक्त प्रतिकर धनराशि की दिनांक 30.09.2019 तक की अतिदेय धनराशि + आगामी किश्तों के मूलधन को समाहित (merge) करते हुए पुनर्निर्धारण (Re-Schedulement) किये जाने की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा द्वारा स्वीकृति प्रदान गयी है।

उपरोक्तानुसार पुनर्निर्धारित एकल पेमेंट प्लान निम्नानुसार तैयार किया गया है। तदनुसार किश्तों/ब्याज की देयता का भुगतान करना होगा-

(धनराशि रूपयों में)

Total Amount Re-scheduled on 30.09.2019					9,95,08,069.00
Instalment	Due date	Principal Amount	Interest (11%)	Installment	Balance
Re-Sch. Instalment -1	31.03.2020	24877017.00	5472944.00	30349961.00	74631052.00
Re-Sch. Instalment -2	30.09.2020	24877017.00	4104708.00	28981725.00	49754035.00
Re-Sch. Instalment-3	31.03.2021	24877017.00	2736472.00	27613489.00	24877018.00
Re-Sch. Instalment-4	25.07.2021	24877018.00	869673.00	25746691.00	-
		99508069.00	13183797.00	112691866.00	

उपरोक्त पेमेंट प्लान में भूखण्ड के मेन पेमेंट प्लान तथा अतिरिक्त प्रतिकर की अतिदेयता एवं भविष्य की सभी किश्तों को कैपिटलाईज कर लिया गया है। उक्त गणना सम्परीक्षाधीन है, यदि भविष्य में कोई देयता निकलेगी तो उसका भुगतान करना होगा। आपके पक्ष में पुनर्निर्धारित भुगतान तालिका में यदि आप पुनः डिफाल्ट करते हैं तो ऐसी दशा में आपके द्वारा रि-शिड्यूलमेंट कराये जाने की तिथि से पुनः डिफाल्ट करने की दशा में 03 प्रतिशत अतिरिक्त दण्डात्मक ब्याज का भुगतान आपके द्वारा किया जाना होगा।

आवंटन/लीजडीड की अन्य नियम व शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

भवदीय,
M. de
19/2/2020
(आराधना)
प्रबंधक (विल्डर्स)